



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032022-233823
CG-DL-E-03032022-233823

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 886]
No. 886]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 2022/फाल्गुन 11, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 2, 2022/PHALGUNA 11, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2022

का.आ. 916(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1366 (अ) तारीख 26 मार्च, 2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -II, खण्ड - 3, उपखण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के उस्मानाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 211 (अब नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52) के कि.मी. 16/400 से कि.मी. 100/000 (महाराष्ट्र सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपावधद अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख "24.05.2021" को "दैनिक लोकमत" (मराठी) और "दैनिक लोकमत टाइम्स" (अंग्रेजी) (औरंगाबाद वर्जन) दोनों में प्रकाशित किया गया था।

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम अधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उप-धारा (1) अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वाक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए।

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के उस्मानाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 211 के 16/400 कि.मी. से 100/000 कि.मी. (महाराष्ट्र सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जानेवाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: उस्मानाबाद			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कळंब				
	गांव का नाम: चोराखळी				
1	411	निजी	एग्रीकल्चर	0.0105	(फेर चौकशी प्रमाणे) - कैलास रामभाऊ साठे, (७/१२ प्रमाणे) - विध्या कैलास साठे, संदीप कैलास साठे, उज्वला प्रीतम पडवळ, कविता अतुल गरड (411)
	तालुक का नाम: उस्मानाबाद				
	गांव का नाम: बावी				
1	192	निजी	एग्रीकल्चर	0.04	(संयुक्त मोजणी प्रमाणे व ७/१२ प्रमाणे) - शिवाजी मनोहर राठोड (192)
	गांव का नाम: उस्मानाबाद				
2	259	निजी	एग्रीकल्चर	0.0017	(फेर मोजणी प्रमाणे व ७/१२ प्रमाणे) सोमनाथ दगडू मुगळे (259)
3	377	निजी	एग्रीकल्चर	0.0081	(फेर मोजणी प्रमाणे व ७/१२ प्रमाणे) भीमसेन सौदागर माने (377)
4	377	निजी	एग्रीकल्चर	0.0146	अधिकार अभिलेखनुसार

					(377)
	तालुक का नाम: तुळजापुर				
	गांव का नाम: सिंदफळ				
1	460/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.02	(अधिकार अभिलेखाच्या नोंदीनुसार) - दत्तू केरबा व्यवहारे, भिवराबाई किसन अपराध, मीराबाई दशरथ शिंदे, (७/१२ उतारा नुसार) - विनोद दत्तू व्यवहारे, हिम्मत दत्तू व्यवहारे (460/1)
			कुल	0.0949	

[फा. सं. NHAI /LA /11013/Mah/Solpaur/2010/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd March, 2022

S.O. 916(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the then Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. No. 1366 (E) dated 26.03.2021 published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning etc), maintenance, management and operation of National Highway No. 211 (Now National Highway No. 52) on the stretch of land from Km. 16/400 to Km. 100/000 (Maharashtra Section) in District Osmanabad in the State of Maharashtra.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Daily Lokmat” (Marathi) and “Lokmat Times” (English) both dated 24.05.2021 (Aurangabad Version); under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas, objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 16/400 to Km. 100/000 (Maharashtra Section) on the National Highways No. 211 (Now New NH-52) in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: OSMANABAD		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Kallamb				
	Village: Chorakhali				
1	411	Private	Agriculture	0.0105	(As per re Joint Measurement Sheet) Kailas Rambhau Sathe, (as per 7/12 Extract) – Vidhya Kailas Sathe, Sandip Kailas Sathe, Ujwala Pritam Padval, Kavita Atul Garad 411
	Taluk: Osmanabad				
	Village: Bavi				
1	192	Private	Agriculture	0.04	(As per Joint Measurement & 7/12 Extract) - Shivaji Manohar Rathod 192
	Village: Osmanabad				
2	259	Private	Agriculture	0.0017	(As per re Joint Measurement Sheet and 7/12 Extract) Somnath Dagdu Mugle 259
3	377	Private	Agriculture	0.0081	(As per re Joint Measurement Sheet and 7/12 Extract) Bhimsen Soudagar Mane 377
4	377	Private	Agriculture	0.0146	As per Rights of Records 377
	Taluk: Tuljapur				
	Village: Sindphal				
1	460/1	Private	Agriculture	0.02	(As per Record of Right) - Dattu Kerba Vyavhare, Bhivarabai Kisan Apradh, Mirabai Dashrath Shinde, (As per 7/12 Extract) - Vinod Dattu Vyavhare, Himmat Dattu Vyavhare 460/1
			TOTAL	0.0949	

[F. No. NHAI /LA /11013/Mah/Solpaur/2010/3D]

RAJESH GUPTA, Director